जल भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवंबर, 1996

सा.का.नि, 537 (असा0) – केन्द्र सरकार, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तूत्तुक्कुडि पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निहित, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 का अनुमोदन करती है।

2 उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

अनुसूची

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996

महा पत्तन न्यास अधिनियम, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन अपेक्षितानुसार केन्द्र सरकार से अनुमोदन की शर्त पर तूत्तक्कुडि पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाते हैं।

1 लघु शीर्ष और प्रारंभ

I) ये विनियम तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 कहे जाएंगे।

II) ये विनियम केन्द्र सरकार के राजपत्र में, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशित होने पर लागू होंगे।

2 किन्हें लागू होगा

क) ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे।

I) तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास से सेवा निवृत्त कर्मचारी और उनकी पत्नी/उनके पति

II) तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास में 10 वर्ष की लगातार सेवा करने के बाद सेवा में रहते वक्त मरे हुए कर्मचारी के जीवित पति/पत्नी

III) और जो परिवार पेन्शन के लिए योग्य हों और जो परिवार पेन्शन के लिए योग्य हों और सेवा निवृत्त कर्मचारी के पति / की पत्नी, जो सेवा निवृत्त के बाद मरे हों, बशर्ते कि यह व्यक्ति/महिला, सरकारी/गैर सरकारी उपक्रमों में सभी सुविधाओं के साथ नौकरी नहीं कर रहा/रही हों और /या उपक्रम के कोई भी चिकित्सा सुविधा योजना के अधीन खुद के लिए या/आश्रित के रूप में लाया गया/गयी हों।

ख) इन विनियमों के संबंधम में सेवा निवृत्त तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी का यह अर्थ होता है कि :

1) श्रेणी I, II, III , एवं IV के सभी कर्मचारी जो, उप पर लागू सेवा विनियमों के अधीन निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं।
2) श्रेणी I एवं श्रेणी II के अधिकारी जो अपेक्षित नोटिस देकर या ऐसी नोटिस के बदले वेतन और भत्ताओं को देकर सेवा निवृत्त होते हैं या पचास (50) वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपेक्षित नोटिस देने के बाद या ऐसी नोटिस के बदले वेतन और भत्ताओं के देकर सेवा से निवृत्त होते हैं या पचपन (55) वष्र की आयु प्राप्त करने के बाद अपेक्षित नोटिस देने के बाद या ऐसी नोटिस के बदले वेतन और भत्ताओं को देकर सेवा से निवृत्त किए जाते हैं।
3) किसी भी श्रेणी के ऐसे कर्मचारी जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास में लगातार 15 वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा के लिए अमान्य माने गए।
4) सभी श्रेणियों के कर्मचारी जो दिनांक 2.4.1992 पर या उसके बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन पत्तन सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं।

ग) इन विनियमों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए सदस्यों के रूप में नामांकन करने के लिए विकल्प को, सेवा निवृत्त होने के दिन से एक महीने की अवधि के अंदर दिया जाना चाहिए। पहले ही सेवा निवृत्त हुए या 10 वर्ष की लगातार सेवा करने के बाद, सेवा में रहते वक्त मरे हुए या 15 वर्ष की लगातार सेवा करने के बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से सेवा से अमान्य हुए व्यक्तियों के मामलों में, ऐसा विकल्प, सेवा निवृत्त कर्मचारियों या आश्रितों के द्वारा जो भी लागू हो, इन विनियमों के प्रभावी होने के तीन महीने की अवधि के अंदर ही दिया जाना चाहिए।

3 अंशदान

इन विनियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सदस्य बनना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। केवल सेवा निवृत्त कर्मचारी या मृत कर्मचारी के जीवित पति या पत्नी जो अपने सेवा निवृत्त लाभों से कटौती कराकर भुगतान करते हैं या एक साथ एक मुश्त अंश करते हैं, वे अपने लिए अथवा अपनी पत्नी/अपने पति के जीवन के लिए इन विनियमों के अधीन चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य हैं। एक समय का एक मुश्त अंशदान की रकम, योजना में विशेष व्यक्ति के शामिल होने के उस समय से, पदनाम या पद के श्रेणी को ध्यान में न रखते हुए, विनियम के पहले एक महीने का पेन्शन या पारिवारिक पेन्शन जैसी भी स्थिति हो, होगी।

टिप्पणीः

विनियम 2 एवं 3 (क) के प्रयोजनार्थ श्रेणी I, II, III , एवं IV का तात्पर्य वही होता है जो तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 1979 में उन्हें क्रमशः निर्धारित किया गया है। फिर भी वास्तविक वर्गीकरण कर्मचारी की सेवा निवृत्ति/मृत्यु/चिकित्सा अमान्यता के समय उसक वास्तविक पद के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

ख) एक बार भुगतान किया गया एक मुश्त अंशदान किसी भी हालत में वापस नहीं दिया जाएगा।

4 पंजीकरण

क) इन विनियमों के अंदर चिकित्सा सुविधाओं के लिए, उस विभाग के विभागाध्यक्ष को, जिसमें से कर्मचारी सेवा निवृत्त या अमान्य होगा या हो, या उनकी मृत्यु होने के मामले में, उनके पति/उनकी पत्नी के द्वारा, निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्नित) परिशिष्ठ ''क'' में आवेदन पत्र दो प्रतियों में, प्रस्तुत किए गए विविरण के सत्यापन होते दिया जाना चाहिए, आवेदन प्रस्तुत करते समय सेवा निवृत्त कर्मचारी, उसकी पत्नी/उसके पति को, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ एवं साथ में अनुलग्नक 'ग' (संलग्न) के प्रपत्र में घोषणा पत्र और आगे पैरा में बताए गए अनुसार एक मुश्त राशि के अंशदान की भुगतान रसीद आदि विभाग के अध्यक्ष को भेज दिया जाना चाहिए। यह घोषणा पत्र, हर वर्ष के अप्रैल 1 तारीख को नवीकरण किया जाना चाहिए।

ख) विभाग के अध्यक्ष के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के बाद, आवेदन पत्र में निहित विवरणों की संवीक्षा, उस विभाग में उपलब्ध रिकार्डों से किया जाएगा और उसके उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया जाएगा। आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजते वक्त अध्यक्ष या उनके द्वारा नियमित किए गए अधिकारी को, निम्न दिए गए अनुसार आवेदन पत्र को प्रमाणित करना चाहिए :–

'' मैंने वैयक्तिक रूप में, आवेदन पत्र के विषयों को इस विभाग में उपलब्ध रिकार्डों के संदर्भ में जाँच किया है और यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्त के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए योग्य हैं।

ग) यदि ऐसा देखा गया है कि आवेदक, इन विनियमों के अंतर्गत कोई भी लाभ उठाने के लिए हकदार नहीं है तो, संबंधित विभाग के अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप से उसे ऐसा सूचित किया जाना चाहिए।

घ) यदि ऐसा देखा गया कि आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत कोई भी लाभ उठाने के अयोग्य है तो संबंधित विभागाध्यक्ष की सलाह के आधार पर आवेदक द्वारा चुकाई गई एक मुश्त राशि उसे वापस कर दी जाए।

ङ) विभागाध्यक्ष से सिफारिशों की प्राप्ति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवा निवृत्त/असमर्थ कर्मचारियों या उनके पति या पत्नी जैसी स्थिति हो, को एक फोटोग्राफ युक्त पहचान पुस्तक निर्धारित प्रपत्र के अनुलग्नक 'ख' में जारी करेंगे। फोटोग्राफ की दूसरी प्रति आवेदन पत्र में लगा कर रिकार्ड के लिए रखा जाएगा।

च) इस योजना के अंदर प्रवेश प्राप्त करने के बाद, यदि सूचा निवृत्त कर्मचारी या मृत कर्मचारी के मामले में उसका पति या पत्नी, सरकारी/गैर सरकारी उपक्रमों में लाभदायक पर पर नियुक्त हैं और उपक्रम की किसी भी चिकित्सा लाभ योजना में शामिल है या इन विनियमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी की मृत्यु होने पर इसकी सूचना वह सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसका पति या पत्नी या दिवंगत कर्मचारी के निकटतम रिश्तेदार को जैसी भी स्थिति हो, लिखित रूप में मुेख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत देनी चाहिए। ऐसी सूचना की प्राप्ति पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, उस मृत कर्मचारी को जारी की गई पहचान पुस्तक को रद्द करने की आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

ज) महीने के दौरान जारी की गई/रद्द की गई ऐसी पहचान कार्ड से संबंधित महीनावार विवरण वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को अनुवर्ती महीने की दस तारीख को या इससे पहले भेजना होगा।

झ) आवेदन पत्र और एक मुश्त राशि प्राप्त होने पर तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा, सेवा निवृत्त कर्मचारी या जीवित पति या पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को पंजीकरण संख्या दिया जाएगा और उसके विवेकाधिकार एक चिकित्सालय निर्धारित किया जाएगा जहाँ संबंधित पुरूष/स्त्री को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकृत कर्मचारी और उसका पति या पत्नी केवल उन्हें बताए गए अस्पताल में ही पंजीकरण के लिए योग्य हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेचनाधिकार के बिना उसे और किसी अन्य दवाखाने में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाहर (प्राइवेट अस्पताल) चिकित्सा सुविधा और तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में चिकित्सा केवल दवाखाना से अस्पताल जाने की सिफारिश पर ही दी जाएगी। फिर भी, आपात्काल में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेकाधिकार से सीधे बाहर चिकित्सा सुविधा और तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में इलाज़ के लिए स्वीकार किया जाएगा।

5 विस्तार

क) निवासी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक समझने और दवाखाने या अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में उपकरण होने पर ही पैथोलॉजीकल, बैक्टेरिओलॉजीकल, रेडियोलॉजी (एक्स रे प्लेट लेना सहित) अथवा परीक्षण की अन्य विधियाँ (ईसीजी एवं अल्ट्रासाउन्ड स्केनिंग सहित) की सुविधा तथा निवासी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक समझने पर दवाखाना या अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग में फिजिकल थैरपी, ऐजेन्सी, डेंटल ट्रीटमेन्ट आदि सुविधा पूर्वक दिया जा सकता है।

ख) यदि किसी जाँच पड़ताल के लिए बाह्य परामर्शदाता, एजेन्सी, अस्पताल या नर्सिंग होम को किसी संदर्भ की आवश्यकता पडती है तो सेवा निवृत्त कर्मचारी स्वयं, अपने पति या पत्नी के लिए अपेक्षित व्यय अनुसार, अपेक्षित व्यय को सीधे उस बाह्य परामर्शदाता, एजेन्सी, अस्पताल या नर्सिंग होम को चुकाएगा।

ग) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसके पति या पत्नी के चिकित्सा जाँच के दौरान उसे तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में भर्ती कराने की अति आवश्यकता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आवश्यक मानने पर सीमित अवधि के लिए होगा।

घ) दवाखाना या तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में निर्धारित दवा और इंजेक्शन, दवाखाना या अस्पताल में अनुरक्षित दवाएँ और इंजेक्शनों काा स्टॉक उपलब्ध होने पर निशुल्क दिया जाएगा। यदि कोई दवा और इंजेक्शन तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल के दवाखाना या अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो, आरंभ में उसके लिए उस पुरूष/स्त्री को व्यय करना होगा और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति लेखा विभाग द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/निवासी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नकद मेमों/प्राप्त बिल प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।

च) सेवा निवृत्त कर्मचारी और या उनके पति या पत्नी के लिए एक समय तीन बेड्स आरक्षित किए जायेंगे और ये पलंग सेवा निवृतत कर्मचारी/या उसके पति/पत्नी को प्राथमिकता देते हुए सेवारत कर्मचारी एवं उसके आश्रितों को दिए जाएंगे।

छ) यदि सेवा निवृत्त कर्मचारी और / या उनके पति या पत्नी के लिए आरक्षित सभी/या कोई पलंग उन्होंने नहीं लिया है तो अधिग्रहण न किए गए पलंग, सेवारत कर्मचारी और उनके आश्रित लोगों को दिया जाएगा।

ज) सेवारत कर्मचारी और / या उसके आश्रित को, जिसे सेवा निवृत्त कर्मचारी और /या पति या पत्नी के लिए आरक्षित तीन पलंगों में से एक पलंग दिया गया है, इस कारण असमय नहीं हटा दिया जाएगा कि योग्य सेवा निवृत्त कर्मचारी और/ या उनके पति या पत्नी को भर्ती के लिए पलंग की आवश्यकता है।

झ) यदि तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास अस्पताल में भर्ती माँगने वाले सेवा निवृत्त कर्मचारी या उनके पति या पत्नी की स्थिति ऐसे हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के राय में वह पुरूष या स्त्री को चिकित्सा और अस्पताल में भर्ती करना बहुत जरूरी है तो सेवा निवृत्त कर्मचारी और/या उनके पति या पत्नी को उनके लिए आरक्षित तीन पलंगों से पार कर भी भर्ती किया जाएगा, लेकिन अस्पताल में ऐसी भर्ती मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक मानने पर न्यूनतम अवधि के लिए ही की जाएगी।

ञ़) नगर पालिका सीमा के अंदर रहनेवाले सेवा निवृत्त कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों के जैसे ही आंबुलेन्स सुविधा दी जाएगी।

6 विनियमों पर व्यय

इन विनियमों के अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी/उनके पति या पत्नी द्वारा वसूल किए जाने वाले अंशदान और अन्य प्रभार एवं चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था के लिए उपगत व्यय, कल्याण निधि के अधीन जमा किया जाना चाहिए।

7 जुर्माना

क) उपर्युक्त विनियम 4 (क) में बताई गई घोषणा के नवीकरण की जिम्मेदारी सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसके पति या पत्नी यथा स्थिति की ही होगी।

ख) अगर ऐसा पाया गया है कि सेवा निवृत्त कर्मचारी/उसका पति/पत्नी/या मृत कर्मचारी के पति/पत्नी, इन विनियमों के अंदर एक मुश्त अंशदान करके चिकित्सा सुविधा उठाने की अवधि के दौरान किसी अन्य सरकारी या प्राइवेट उपक्रमों में लाभकारी रूप में नियुक्ति पाए गए हों तो उस अवधि के दौरान पाई गई चिकित्सा सुविधा के लिए उपगत व्यय, आउट साइडरों को उक्त चिकित्सा के लिए उपगत होने वाली राशि और उस पर 5% जुर्माना प्रभार लगाकर कुल राशि को, उनसे वसूल किया जाना चाहिए।

8 विविध

क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसा सुनिश्चित करेगा कि चिकित्सा सुविधाएँ पहचान पत्रों में गणित व्यक्तियों को ही दिया जाएगा।

ख) मुख्य चिकित्सा अधिकारी इन विनियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों को दिखाते हुए अनुलग्नक 'ख' (संलग्न) में दिखाए गए रूप में एक रजिस्टर का अनुरक्षण करेंगे और यह रजिस्टर वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध किया जाएगा।

9 ढील का अधिकार

जहाँ बोर्ड इससे सहमत है कि इन विनियमों के कार्यान्वयन से किसी भी विशेष स्थिति में कोई कठिनाई हो सकती है तो बोर्ड ऐसे मामलों को न्यायपूर्वक और उचित तरीकों से संभालने हेतु शर्तो एवं अपवादों के जरिए कुछ हद तक इन विनियमों की आवश्यकताओं में, वे विशेष कारणों को आदेश द्वारा लिखित रूप में रिकार्ड करते हुए ढील या छूट दे सकते हैं।

10 व्याख्या

इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में अगर कोई प्रश्न उठेगा तो, अंतिम निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया जाएगा।

''अनुलग्नक ''क''

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के उपरांत अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1994 की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र

---

1 सेवा निवृत्त कर्मचारी का नाम (बडे अक्षरों में) :

2 (क) पदनाम एवं पद की श्रेणी :

(ख) स्टाफ संख्या : /पी.पी.ओ.सं0 :

(ग) विभाग

3 तिथि – (i) नियुक्ति :

(ii) सेवा निवृत्ति :

4 ली गई अंतिम वेतन राशि :

5 जीवित पति/पत्नी का नाम :

	नाम	संबंध	जन्म तिथि	वर्तमान आयु
.				
1				
2				

---

6 आवेदक का नाम :

7 स्थायी पता :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

टिप्पणी : इन विनियमों की सदस्यता के लिए 2 पासपोर्ट साइज़ की फोटो देना आवश्यक है।

''अनुलग्नक ''ख''

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के उपरांत अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 की सदस्यता के लिए आवेदन पत्र

पहचान पत्र संख्या :

1	कर्मचारी का नाम	:	
2	जीवित पति/पत्नी का नाम	:	
3	सेवा निवृत्त की तिथि को धारित पदनाम, विभाग का नाम एवं स्टाफ सं0 तथा पी.पी.ओ.सं0	:	
4	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5	अंतिम वेतन की राशि	:	
6	अंशदान की दर	:	
7	पहचान चिन्ह्	:	(i) (ii)
8	भुगतानों का विवरण	:	
	(i)		
	(ii)		
	(iii)		
9	सेवा निवृत्त कर्मचारी/आवेदन	:	
10	विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर उसकी		

रबड मोहर सहित :

''अनुलग्नक ''ग''

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरांत आंतरिक एवं बाह्य अंशदायी चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 को ग्रहण करने के समय सेवा निवृत्त कर्मचारियों द्वारा भरा जाने वाला घोषणा पत्र और उनके बाद हर वर्ष 1 अप्रैल को ।

1 मैं ..... पत्नी/पति .....
का/की स्टाफ सं0 ..... पदनाम .....
विभाग ..... मंडल की सेवा से दिनांक .....
से सेवा निवृत्त होने पर यह घोषणा करता हूँ कि मैं किसी प्राइवेट या सरकारी क्षेत्र या उपक्रम में नियोजित हूँ / नहीं हूँ और मैं उस नियोक्ता की चिकित्सा सुविधा योजना का लाभ उठाता/नहीं उठाता हूँ।

2 **(सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र के नौकरी में लाभकार नियोजितों के मामले में)**

मैं यह नौकरी दिनांक ..... को शुरू की और मेरी नियुक्ति अवधि..... से ..... तक है। मैं इस अवधि में तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति उपरांत आंतरिक एवं बाह्य अंशदायी चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 के नियमों के अनुसार मंडल अस्पताल में निशुःल्क जाँच, निशुःल्क दवा और निःशुल्क विचार विमर्श का अधिकारी नहीं हूँ।

हस्ताक्षर :

पहचान पत्र संख्या :

जारीकर्ता :

अनुलग्नक " घ "

तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी मंडल द्वारा , तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी बाह्य और आंतरिक चिकित्सा सुविधा) विनियम, 1996 के अंतर्गत रखा जाने वाला पंजी फार्म

सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	सेवानिवृत्त कर्मचारी सहित परिवार के सदस्यों की संख्या	पदनाम स्टाफ नं0 एवं विभाग का नाम	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास अंशदान जमा					
			आवधिक .....से .....तक	राशि रु0	भुगतान की तिथि	जमा पर्ची संख्या	अंशदान एकत्रकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	